अत्यावश्यक
वर्ष–2012–13
का
लक्ष्य–संसूचन

पत्रांक–वन विविध–01/10 1695 /प0व0

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव,

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,पटना
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार
सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक
सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी।

पटना–15 दिनांक– 04-6-12

विषयः– वर्ष 2012–13 में कार्यनिर्वहन के निमित्त लक्ष्य निर्धारित करने के संबधं में।

प्रसंगः– विभागीय पत्र वन विविध–01/2010/335/प0व07 दिनांक–04.11.2010 एवं वन विविध–01/2010/617/प0व0 दिनांक–29.02.2012

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि विषयगत प्रासंगिक प्रथम पत्र के द्वारा सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए भ्रमण, योजनाओं की जाँच एवं रात्रि विश्राम का मापदंड निर्गत किया गया था तथा पत्रांक–617 दिनांक–29.02.2012 के द्वारा चार कंडिकाओं में पदाधिकारियों के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, रात्रि विश्राम, जिला एवं प्रमंडल स्तर पर आहूत बैठकों में उपस्थिति, अधिहरण वादों में कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने तथा वार्षिक चारित्री के मूल्यांकन के संबंध में आवश्यक निदेश संसूचित किये गये है।

2. वित्तीय वर्ष 2012–13 में सरकार की महत्वकांक्षी योजना **'हरियाली मिशन'** के सूत्रण के साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों की धरातल पर योजना के शत प्रतिशत् कार्यान्वयन के निमित्त सहभागिता अनिवार्य हो गई है। हरियाली मिशन के तहत वनरोपण की वास्तविक सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्तर के पदाधिकारियों द्वारा इसका निरंतर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाय जो निरंतर क्षेत्रीय परिभ्रमण से ही संभव हो पायेगा।

3. तदनुसार हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2012–13 में वनरोपण हेतु कार्यालयवार भौतिक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए तालिका–I संलग्न की जा रही है। इस तालिका में हरियाली मिशन के अंतर्गत पथतट, नहर/नदी तटबंध पर वनरोपण के निमित्त पूर्व में दिनांक–13/14.04.2012 को आहूत विभागीय बैठक में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है तथा यह निदेश दिया जा चुका है कि संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा इसके लिए स्थल की उपयुक्तता की भौतिक जाँच के लिए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

4. अपने पदस्थापन के कार्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों का निर्धारित समयावधि पर निरीक्षण किया जाना भी नितांत आवश्यक है। प्रशासनिक तंत्र को उन्नत बनाने तथा क्षेत्रीय स्तर पर सरकार के नीतिगत कार्यों के धरातल पर वास्तविक क्रियान्वयन के निमित्त कार्यालयों का निरीक्षण तथा निरीक्षण प्रतिवेतन में यथांकित सूचना/निदेश का अनुपालन संबंधित कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं के सत्त अनुश्रवण करने का दायित्व उस कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी का है। तदालोक में संलग्न तालिका–II के अनुसार कार्यालय निरीक्षण का निर्धारण किया गया है जिसके अनुरूप निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। जिस पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय निरीक्षण किया जायेगा उनके द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी को निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण कंडिकावार अनुपालन के साथ भेजते हुए इसकी एक प्रति विभाग को भी भेजी जायेगी।

5. उपर्युक्त यथावर्णित संलग्न तालिका–I एवं तालिका–II में निर्दिष्ट लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि के आधार पर संबंधित पदाधिकारी की चारित्री/गोपनीय अभ्युक्ति/व्यक्तिगत कार्य मूल्यांकन (PAR) विभिन्न स्तर के प्राधिकार के द्वारा अभिलिखित की जायेगी। इसे विभागीय बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

निदेश का अनुपालन पूरी तत्परता के साथ किया जाना अपेक्षित है।

अनुलग्नक–तालिका–I एवं
तालिका–II

विश्वासभाजन,

4/6/12

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

तालिका–I

हरियाली मिशन अंतर्गत 2012–13 वनरोपण हेतु कार्यालयवार भौतिक लक्ष्य का निर्धारण

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	सड़क (कि0मी0)	नहर (कि0मी0)	नदी (कि0मी0)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना	60	47	00
2.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर	420	220	180
3.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर	310	155	40
4.	मुख्य वन संरक्षक–सह–निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	40	75	00
5.	वन संरक्षक, पटना	30	47	00
6.	वन संरक्षक, गया	30	00	00
7.	वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर	280	110	110
8.	वन संरक्षक, सीवान	140	110	70
9.	वन संरक्षक, भागलपुर	40	00	00
10.	वन संरक्षक, पूर्णिया	270	155	40
11.	वन संरक्षक वन्य प्राणी अंचल, पटना	30	25	00
12.	वन संरक्षक–सह–निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अंचल बेतिया	10	50	00
13.	वन प्रमंडल, पटना	30	00	00
13.	वन प्रमंडल, भोजपुर, (आरा)	00	47	00
14.	वन प्रमंडल, गया	10	00	00
15	वन प्रमंडल, नवादा	10	00	00
16.	वन प्रमंडल, औरंगाबाद	10	00	00
17.	वन प्रमंडल, तिरहुत (मुजफुफरपुर)	65	45	20
18.	वन प्रमंडल, दरभंगा	100	40	20
19.	वन प्रमंडल, बेगुसराय	115	25	70
20	वन प्रमंडल, गोपालगंज	40	40	20
21.	वन प्रमंडल, मोतिहारी	30	25	30
22.	वन प्रमंडल, सारण (छपरा)	70	45	20
23.	वन प्रमंडल, बांका	30	00	00
24.	वन प्रमंडल, जमुई	10	00	00
25.	वन प्रमंडल, पूर्णिया	60	45	00
26.	वन प्रमंडल, अररिया	150	35	20
27	वन प्रमंडल, सहरसा	60	75	20
28.	वन प्रमंडल, मुगेर	10	00	00
29.	वन प्रमंडल, कैमूर (भभुआ)	10	00	00
30	वन प्रमंडल, रोहतास	10	25	00
31.	वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल–1	5	25	00
32	वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल–2	5	25	00

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

कार्यालय निरीक्षण के लिए पदाधिकारीवार निर्दिष्ट निरीक्षण की तालिका–II

क्र0स0	निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	निरीक्षण के तहत निर्दिष्ट कार्यालय	निरीक्षण के लिए निर्धारित (वार्षिक) लक्ष्य–स्तम्भ–3 में अंकित कार्यालयों की संख्या के आधार पर प्रतिशत में।
1.	2.	3.	4.
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय	100
		अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास	100
		क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	50
		वन संरक्षक	25
		वन प्रमंडल	15
2.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक एवं मुख्य वन संरक्षक–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक का कार्यालय	100
		मुख्य वन संरक्षक–सह–निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का कार्यालय	100
		वन संक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना का कार्यालय एवं वन संरक्षक–सह–क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अंचल बेतिया का कार्यालय	50

		कार्यालय, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान/ वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल–1 बेतिया का कार्यालय/ वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल–2 बेतिया का कार्यालय/ वन प्रमंडल कार्यालय मुंगेर/कैमूर/रोहतास	50
		बिहार राज्य वन विकास निगम तथा अधीनस्थ प्रमंडल कार्यालय	50
3.	**मुख्य वन संरक्षक (कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार)**	मुख्य वन संरक्षक (कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार)	100
4.	**मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास)**	मुख्य वन संरक्षक (कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार) का कार्यालय	100
		वन संरक्षक, कार्यालय नियोजना अंचल, पटना	100
		वन प्रमंडल कार्य नियोजना प्रमंडल, पटना	100
		शोध प्रशिक्षण एवं जन संपर्क प्रमंडल, पटना	100
5.	**क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक**	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय	100
		वन संरक्षक, कार्यालय	100
		वन प्रमंड़ल, कार्यालय	50
		वन क्षेत्र पदाधिकारी का कार्यालय	10
	वन संरक्षक	वन संरक्षक, कार्यालय	100
		वन प्रमंडल, कार्यालय	100
		वन क्षेत्र पदाधिकारी का कार्यालय	25
6.	**वन प्रमंडल पदाधिकारी**	वन प्रमंडल, कार्यालय	100
		अधीनस्थ वनों के क्षेत्र पदाधिकारियों का कार्यालय	100
		वनपाल का कार्यालय (बीट)	25

K.T.O-------

निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित की जांच एवं तद्नुरूप निदेश अंकित किया जाना अपेक्षित है:–

- कार्यालय निरीक्षण के क्रम में रोकड़ बही, योजना पंजी, योजना अभिलेख, मस्टर रोल तथा अभिश्रव आदि की जांच तथा उनकी प्रविष्टियों की भी भली भाँति जांच की जाय।
- वैधिक मामले (SLP/CWJC /MJC/ /LPA/अन्य न्यायिक मामले)स्थापना से संबंधित मुद्दे, सेवापुस्तों का संधारण, सेवांत लाभ तथा जनशिकायत से संबंधित सभी स्तर से प्राप्त पत्रों के निष्पादन की स्थिति।
- यथासाध्य निरीक्षण के दरम्यान योजना अभिलेख में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार अभिलेख के साथ स्थल पर जाकर योजनाओं की भौतिक जांच ।
- अंकेक्षण से संबंधित लंबित कंडिकाओं में अनुपालन की स्थिति।
- वन प्रमंडल पदाधिकारियों के कार्यालयों के निरीक्षण में उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में निष्पादित न्यायालय कार्य का निरीक्षण अवश्य किया जाये।
- वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा वन संरक्षकों के कार्यालयों के निरीक्षण में उनके द्वारा क्रमशः अनुज्ञापन पदाधिकारी तथा अपीलीय पदाधिकारी के रूप में निष्पादित अभिलेखों का निरीक्षण अवश्य किया जाये।